PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

03/02/2025 से 09/02/2025 तक

THE HINDU

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. लैंगिक बजट (Gender Budgeting) 2025 – 26..1

2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन.................................3

3. भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध : मध्य प्रदेश में बदलाव की नई लहर...7

4. नवीन जल समाधान : जल जीवन मिशन के द्वारा 2028 तक स्थिर जल प्रबंधन..9

5. जल जीवन मिशन : भारत का सतत विकास लक्ष्य की ओर बढ़ता कदम...10

PLUTUS IAS

लैंगिक बजट (GENDER BUDGETING) 2025 – 26

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया।
- इस बजट में भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक बजट (Gender Budgeting) को प्राथमिकता देते हुए इसे प्रमुखता से बढ़ाया गया है।
- इस वर्ष कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए निर्धारित किया गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 6.8% की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक है।
- इस बजट में विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए ₹4.49 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹3.27 लाख करोड़ से 37.25% की वृद्धि को दर्शाता है।

लैंगिक बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताएँ :

1. **कुल लैंगिक बजट आवंटन :** ₹4.49 लाख करोड़ (37.25% की वृद्धि)
2. **केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा :** 8.86% (2024-25 में 6.8%)
3. **रिपोर्टिंग मंत्रालयों/विभागों की संख्या :** 49 (2024-25 में 38)
4. **लैंगिक बजट रिपोर्ट करने वाले केंद्रशासित प्रदेश :** 5
5. **लैंगिक बजट आवंटन में वृद्धि होना :** वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लैंगिक बजट ₹4.49 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹3.27 लाख करोड़ से 37.5% अधिक है। इस बजट का कुल केंद्रीय बजट में हिस्सा 8.86% है।
6. **महिला कल्याण और साक्षरता को बढ़ावा देना :** GBS 2025-26 में महिला शिक्षा, आर्थिक साक्षरता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ बनाई गई हैं। 49 मंत्रालयों को लैंगिक-विशिष्ट जानकारी प्रदान की गई है, जिससे लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिलेगा।
7. **लैंगिक बजट का वर्गीकरण करना :** लैंगिक बजट को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे इसकी प्रभावशीलता और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
8. **विभिन्न मंत्रालयों की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करना :** इस बार का बजट, जेंडर-रिस्पॉन्सिव बजटिंग (Gender-Responsive Budgeting, GRB) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें न केवल आवंटनों में वृद्धि की गई है, बल्कि विभिन्न मंत्रालयों की भी अधिक व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
9. **केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के समग्र कल्याण और विकास को प्राथमिकता देना :** लैंगिकता (Gender) उन सामाजिक विशेषताओं को संदर्भित करती है जो महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों से जुड़ी होती हैं, जबकि जैविक भेद (Sex) शारीरिक विशेषताओं से संबंधित है, जो गुणसूत्रों और प्रजनन अंगों पर आधारित होती है। इस विस्तार से यह स्पष्ट है कि सरकार ने महिलाओं के विकास और समग्र कल्याण को प्राथमिकता दी है, जो आगामी वर्षों में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव डाल सकता है।

भारत में जेंडर बजटिंग :

- जेंडर बजटिंग एक ऐसा उपकरण है, जो विभिन्न लैंगिक पहचानों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण और संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करता है।
- यह महिलाओं और पुरुषों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाओं में संतुलित आवंटन सुनिश्चित करता है।

भारत में जेंडर बजटिंग की पृष्ठभूमि :

1. भारत में जेंडर बजटिंग की शुरूआत लैंगिक समानता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता 1979 में CEDAW (महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन) के अनुमोदन और उसकी स्वीकृति से शुरू हुई थी।
2. भारत में जेंडर बजटिंग की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2005-06 में पहली बार जेंडर बजट स्टेटमेंट पेश करने से किया गया था। तब से यह हर साल बजट में शामिल किया जाता है, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/PCS

3. जेंडर बजटिंग मिशन शक्ति योजना के तहत आती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत 2021 में मिशन शक्ति पहल शुरू की गई, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संबल (महिलाओं की सुरक्षा) और सामर्थ्य (कौशल विकास) जैसे उप-योजनाओं के माध्यम से कार्य करती है।

- **आवश्यकता :** जेंडर बजटिंग केवल एक वित्तीय उपाय भर नहीं है, बल्कि यह लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए एक नैतिक आवश्यकता भी है। वर्ष 2024 की जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार, भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पर है, जो भारत में लैंगिक समानता में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।
- **महत्त्व :** यह लैंगिक आधार पर होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव और शोषण को संबोधित करने के साथ – ही – साथ सतत विकास लक्ष्य 5 (वैश्विक लैंगिक समानता) को भी समर्थन तथा बढ़ावा देता है और महिला-विशिष्ट कानूनी ढाँचों जैसे कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में मदद करता है।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय :** इसका कार्यान्वयन केंद्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) तथा राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, वित्त और योजना विभाग के द्वारा जबकि जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र (HEW) द्वारा किया जाता है।

भारत में जेंडर बजटिंग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **लैंगिक संवेदनशील योजनाओं के लिए धन आवंटन की प्रक्रिया में अस्पष्टता होना :** भारत में लैंगिक संवेदनशील योजनाओं के लिए धन आवंटन की प्रक्रिया में अस्पष्टता के कारण अक्सर विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरणस्वरूप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, महिलाओं के योगदान को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता है। इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में महिलाओं के लिए 100% आवंटन का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में केवल 23% महिलाओं को ही घर दिए जाते हैं।
2. **जेंडर बजट के निधियों का कुछ प्रमुख मंत्रालयों में ही संकेंद्रण होना :** भारत में लगभग 90% जेंडर बजट कुछ विशेष मंत्रालयों जैसे MGNREGS, PMAY-G और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) में ही केंद्रित है, जिससे अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव सीमित हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप यह महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक विविध पहलुओं को नजरअंदाज करता है।
3. **सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की दीर्घकालिक योजनाओं से प्रभवित होना :** सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की दीर्घकालिक योजनाओं, जैसे आयुष्मान भारत और आवास योजना का जेंडर बजट में ही समावेश करने से यह तात्कालिक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए धन के हस्तांतरण में कमी और रुकावट की स्थिति उत्पन्न करता है। इससे भारत में महिलाओं के लिए त्वरित सुधार की योजना प्रभावित होती है।
4. **अपर्याप्त निगरानी तंत्र और जेंडर विशिष्ट डेटा के अभाव के कारण जेंडर बजट के प्रभाव का सही मूल्यांकन की कमी होना :** भारत में अपर्याप्त निगरानी तंत्र और जेंडर विशिष्ट डेटा के अभाव के कारण जेंडर बजट के प्रभाव का सही आकलन करना कठिन हो जाता है। इससे जेंडर बजट से संबंधित योजनाओं की प्रभावशीलता और आवश्यकता का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाता है।
5. **देश में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी होना :** भारत में जेंडर आधारित बजट हमेशा राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं होता है, जिससे योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बेहतर सहयोग और निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि जेंडर बजटिंग की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

समाधान / आगे की राह :

1. **लैंगिक बजट रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता :** भारत में लैंगिक बजट रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाना आवश्यक है, ताकि आवंटन के सही प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सके और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके।
2. **लैंगिक ऑडिट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जरूरत :** भारत में विभिन्न मंत्रालयों में लैंगिक ऑडिट को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं को वास्तविक और उपयुक्त लाभ मिल रहा है।
3. **जेंडर बजट के भाग C में पारदर्शिता बढ़ाई जाए :** भारत में लैंगिक बजट के भाग C को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए

ताकि इसके प्रभाव को सही तरीके से समझा जा सके और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

4. **जेंडर बजट का एकीकरण और समेकन को सुनिश्चित करने की जरूरत :** देश के सभी मंत्रालयों में, जैसे बुनियादी ढाँचा और ग्रामीण विकास, जेंडर बजट को एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे हर सरकारी योजना में लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित आवंटन को सुनिश्चित किया जा सके।
5. **लिंग-विशिष्ट डेटा का संग्रहण और विश्लेषण करने की जरूरत :** देश में महिलाओं की आवश्यकताओं और उनसे जुड़ी विभिन्न नीतियों के प्रभाव को समझने के लिए लिंग-विशिष्ट डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करने की अत्यंत आवश्यकता है।
6. **राज्य स्तर पर जेंडर बजट की भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत :** भारत में सभी राज्य सरकारों को जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग में सक्रिय रूप से बढ़ती भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि सभी वर्गों, विशेष रूप से जनजातीय और अन्य सुभेद्य वर्गों की महिलाओं को सरकार की सभी योजनाओं में उनके समावेशन को सुनिश्चित किया जा सके।
7. **बजट आवंटन और सूचना प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता :** देश में लैंगिक बजट आवंटन और सूचना प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना आवश्यक है। धन आवंटन की पद्धतियों और उनके कारणों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने से जवाबदेही बढ़ेगी।
8. **एक सख्त निगरानी तंत्र और सतत मूल्यांकन पद्धति को विकसित करने की जरूरत :** देश के सभी सभी मंत्रालयों में नियमित रूप से जेंडर आधारित ऑडिट आयोजित किए जाएं ताकि आवंटित धनराशि की प्रभावशीलता का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके।
9. **जेंडर आधारित बजट पर प्रशिक्षण प्रदान करने एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता :** देश के सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को जेंडर आधारित बजट पर प्रशिक्षण देने से उन्हें बजट के सही उपयोग और आकलन में जेंडर दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए जरूरी विशेषज्ञता प्राप्त होगी, जिससे बजट के उपयोग और आकलन में लैंगिक दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समाहित सुनिश्चित किया जा सके।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. लैंगिक बजट (Gender Budgeting) 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 6.8% से अधिक है।
2. इस बजट में महिला कल्याण के लिए ₹4.49 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष से 37.25% अधिक है।
3. लैंगिक बजट को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है।
4. जेंडर बजटिंग की शुरुआत भारत में 2005-06 में हुई थी, और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन शक्ति योजना से जुड़ा हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

व्याख्या:

1. कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 6.8% से अधिक है।
2. इस बजट में महिला कल्याण के लिए ₹4.49 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष से 37.25% अधिक है।
3. लैंगिक बजट को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है।
4. जेंडर बजटिंग की शुरुआत भारत में 2005-06 में हुई थी, और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन शक्ति योजना से जुड़ा हुआ है। अतः विकल्प D सही उत्तर है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में लैंगिक बजट की पृष्ठभूमि, इसके मुख्य उद्देश्यों और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, इसके समाधान के उपायों पर विस्तृत रूप से विचार कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन

खबरों में क्यों ?

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- हाल ही में 03 फरवरी 2025 को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) की शुरुआत की है।
- यह मिशन गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है।
- इस मिशन के तहत जून 2023 में "मेरा गाँव मेरी धरोहर" (MGMD) पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गाँवों की सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेजीकरण करना है।
- वर्तमान में, इस मिशन के तहत 4.5 लाख गाँवों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इस पोर्टल में मौखिक परंपराएँ, रीति-रिवाज, कला रूप, पारंपरिक भोजन, स्थानीय स्थल, प्रमुख कलाकार, त्यौहार, और अन्य सांस्कृतिक तत्व शामिल हैं।
- एनएमसीएम मिशन सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- इसका मुख्य उद्देश्य गाँवों का सांस्कृतिक डेटा संग्रह करना और उन्हें पोर्टल पर साझा करना है। इसके अतिरिक्त, इस मिशन के तहत सांस्कृतिक प्रतिभा खोज, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्य स्थल, मीडिया प्रचार और अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं।

मेरा गाँव, मेरी धरोहर" (MGMD) कार्यक्रम :

- मेरा गाँव, मेरी धरोहर (MGMD) कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसे संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) द्वारा संचालित किया जाता है।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय गाँवों के जीवन, इतिहास और लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करना है।
- इसके तहत गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेज़ीकरण किया जाता है, जिसे आभासी व वास्तविक समय में आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराना है।
- मेरा गाँव, मेरी धरोहर (MGMD) कार्यक्रम के तहत एक वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो इस जानकारी को साझा करने का माध्यम है। इस कार्यक्रम में सात प्रमुख श्रेणियों के तहत जानकारी एकत्र की जाती है –

1. **कला और शिल्प गाँव :** इसमें गाँवों के स्थानीय कलाकारों और शिल्पकर्मियों की जानकारी शामिल होती है।
2. **पारिस्थितिकीय दृष्टि से उन्मुख गाँव :** यह गाँवों के पर्यावरण, जलवायु, और जलसंसाधन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
3. **भारतीय पाठ्य और शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ा स्कोलास्टिक गाँव :** इसमें गाँवों के शैक्षिक और सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी शामिल होती है।
4. **रामायण, महाभारत और/या पौराणिक कथाओं से जुड़ा महाकाव्य गाँव :** इसमें गाँवों के पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों से संबंधित जानकारी शामिल होती है।
5. **स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा ऐतिहासिक गाँव :** इसमें गाँवों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी शामिल होती है।
6. **वास्तुकला विरासत गाँव :** भारत का वैसा गाँव जहाँ ऐतिहासिक या पारंपरिक वास्तुकला की धरोहर मौजूद है।
7. **विशेषता वाले गाँव :** जैसे मछली पकड़ने वाले गाँव, बागवानी वाले गाँव, चरवाहा गाँव आदि।

- मेरा गाँव, मेरी धरोहर (MGMD) कार्यक्रम राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) का हिस्सा है, जिसे ' आज़ादी का अमृत महोत्सव ' के अवसर पर शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 6.5 लाख गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जा रहा है, जिसमें से 2 लाख से अधिक गाँवों का मानचित्रण पूरा हो चुका है और इन्हें मिशन पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) :

- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना है।
- यह मिशन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसके रचनात्मक योगदान को पहचानने और दस्तावेज़ बनाने के लिए समर्पित है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) के मुख्य कार्य :

NMCM के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं –

- **कलाकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों की राष्ट्रीय निर्देशिकाएँ बनाना :** यह पहल देशभर के कलाकारों, सांस्कृतिक विशेषज्ञों, और पारंपरिक कला-परंपराओं के प्रवर्तकों की एक विस्तृत राष्ट्रीय निर्देशिका तैयार करेगी। यह निर्देशिका सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और समूहों की जानकारी को संकलित करेगी।
- **राष्ट्रीय डिजिटल सूची/रजिस्टर का निर्माण करना :** कला अभिव्यक्तियों, कलाकार समुदायों और परंपरा के वाहकों की एक व्यापक राष्ट्रीय डिजिटल सूची या रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इस सूची के माध्यम से पारंपरिक कला रूपों और संस्कृति के जीवित परंपराओं को संरक्षित किया जाएगा।
- **संरक्षण नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का विकास करना :** इसके तहत कला प्रथाओं के संरक्षण के लिए नीतियाँ तैयार की जाएंगी और इन कला प्रथाओं के अभ्यासकर्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

मिशन का मुख्य उद्देश्य :

1. **राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना :** विस्तृत थल सर्वेक्षणों और प्रलेखीकरण के माध्यम से सांस्कृतिक मानचित्रण कर एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस डेटाबेस में देश की सांस्कृतिक विविधताओं और परंपराओं की सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित की जाएगी।
2. **संरक्षण और पुनर्जीवित करना :** इस मिशन का उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, सुरक्षित, पुनर्जीवित और प्रसारित करना है। यह कार्य संस्कृति की धरोहर को आगामी पीढ़ियों तक पहुँचाने में सहायक होगा।
3. **सांस्कृतिक जीवंतता का विकास करना :** डिजिटल प्लेटफॉर्म और लोकसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से पूरे देश में एक सुदृढ़ “सांस्कृतिक जीवंतता” का परिवेश विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और उसे राष्ट्रीय पहचान प्रदान करना है।

भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना :

- यह योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और संगठनों को समर्थन प्रदान करना है।
- इसमें कुल 8 घटक शामिल हैं, जिनका प्रत्येक का विशेष उद्दे; श्य और वित्तपोषण आवंटन है।
- इस योजना के तहत विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

योजना के प्रमुख घटक :

- **राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना :** इस घटक के तहत कला और संस्कृति के प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सां-स्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जो अखिल भारतीय

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

दृष्टिकोण से पंजीकृत और उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय हैं, जिनके पास सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विगत 5 वर्षों में से किसी 3 वर्षों के दौरान 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक व्यय का ट्रैक रिकॉर्ड हो।

- **अधिकतम अनुदान :** 1 करोड़ रुपए।
- **कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट (CFPG) प्रदान करना :** इस घटक के अंतर्गत सेमिनार, सम्मेलन, अनुसंधान, कार्यशालाएँ, त्योहार, प्रदर्शनियाँ, और प्रस्तुतियों जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह अनुदान सांस्कृतिक आयोजनों की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है।
- **अधिकतम अनुदान :** 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक (विशिष्ट परिस्थितियों में)।
- **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता :** इस घटक का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को अनुसंधान, प्रशिक्षण, और प्रसार के माध्यम से संरक्षित और बढ़ावा देना है। यह वित्तीय सहायता ऐसे संगठनों को प्रदान की जाती है जो हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।
- **वित्तीय सहायता :** प्रति वर्ष 10 लाख से 30 लाख रुपए तक (विशिष्ट परिस्थितियों में)।
- **बौद्ध/तिब्बती संगठन के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना :** इस योजना के तहत बौद्ध और तिब्बती सांस्कृतिक परंपराओं के प्रचार-प्रसार और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे मठों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए होती है।
- **वित्त पोषण :** प्रति वर्ष 30 लाख रुपए तक, असाधारण मामलों में 1 करोड़ रुपए तक।
- **स्टूडियो थियेटर और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना :** इस घटक के तहत सांस्कृतिक बुनियादी ढाँचे जैसे स्टूडियो थियेटर, ऑडिटोरियम, और रिहर्सल हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सांस्कृतिक गतिविधियों के बेहतर आयोजन के लिए उपयोगी होती है।
- **अधिकतम अनुदान :** मेट्रो शहरों में 50 लाख रुपए तक और गैर-मेट्रो शहरों में 25 लाख रुपए तक।
- **संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता :** इस घटक का उद्देश्य त्योहारों और प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान ऑडियो-विजुअल चश्मे जैसे विशेष सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता सांस्कृतिक प्रदर्शनों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए होती है।
- **अधिकतम अनुदान :** ऑडियो के लिए 1 करोड़ रुपए और ऑडियो+वीडियो के लिए 1.50 करोड़ रुपए।
- **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए योजना :** इस योजना का उद्देश्य भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं को पुनरोद्धार और प्रचार के माध्यम से सुरक्षित रखना है। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है।
- **घरेलू उत्सव और मेले :** इस घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' जैसे घरेलू उत्सवों और मेलों के आयोजन में सहायता प्रदान करना है। यह सहायता सांस्कृतिक महोत्सवों की सफलता और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए होती है।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

1. इसके तहत गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेज़ीकरण किया जाता है।
2. इसका उद्देश्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
3. यह मिशन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है।
4. इस मिशन के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार मानचित्रण प्रक्रिया के लिए केरल के सभी गाँवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने में मदद करेगा? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें।
(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध : मध्य प्रदेश में बदलाव की नई लहर

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
- मध्य प्रदेश के ही इंदौर शहर के उदाहरण को अपनाते हुए यह कदम भिक्षावृत्ति के कारण यातायात में अवरोध और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया।
- अधिकारियों के अनुसार, कई भिखारी अनेक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं और अन्य राज्यों से आते हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।
- सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य इन समस्याओं से निपटना और लोगों की जान – माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ – ही – साथ और शहर में यातायात की व्यवस्था को सुव्यवस्थित को बनाए रखना भी है।

भारत में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध से संबंधित कानूनी कार्रवाई :

1. भोपाल जिले में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू किया गया है, जो अत्यावश्यक मामलों में मजिस्ट्रेट को आदेश जारी करने की शक्ति देती है।
2. इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत उन व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाती है जो लोक सेवकों द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना करते हैं।
3. यह कदम इंदौर के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया, जहां पहले भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लागू किया गया था और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती थी।

भारत में भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान :

1. **औपनिवेशिक कानून :** सन 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम खानाबदोश जनजातियों को अपराधी मानते हुए भिक्षावृत्ति से जोड़ता है।
2. **वर्तमान विधिक ढाँचा :** भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों को भिक्षावृत्ति, आहिंडन और घुमंतू जनजातियों पर कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि, इस पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 के आधार पर कानून बनाए हैं।
3. **विधिक निर्णय :** दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में कहा कि बॉम्बे अधिनियम मनमाना है और यह सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। वहीं, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपराधिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक समस्या माना।
4. **आजीविका और उद्यम हेतु हाशिए पर स्थित व्यक्तियों की सहायता (SMILE) योजना :** वर्ष 2022 में शुरू की गई SMILE योजना का उद्देश्य वर्ष 2026 तक भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाना है और इसके तहत भिक्षुकों को चिकित्सा, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनका पुनर्वास किया जा रहा है।
5. **भारत में भिक्षुकों की संख्या :** भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में भिक्षुकों की संख्या 4,13,670 थी। भिक्षुकों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है।

भारत में भिक्षावृत्ति के मुख्य कारण :

1. **आर्थिक कारण :** भारत में गरीबी, बेरोज़गारी और रोजगार के सीमित अवसर का होना भिक्षावृत्ति के प्रमुख कारण हैं। शहरों की ओर ग्रामीणों का पलायन उन्हें आर्थिक संकट में डालता है, जिससे वे भिक्षावृत्ति अपनाने के लिए मजबूर होते हैं।
2. **सामाजिक और सांस्कृतिक कारक :** भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव

PLUTUS IAS UPSC/PCS

के कारण कुछ समुदायों को अवसरों से वंचित रखा जाता है, जिससे उनकी जीवनशैली प्रभावित होती है। भारत कई समुदायों जैसे नट, सैन्स और बाजीगर समुदाय के लिए भिक्षावृत्ति एक पारंपरिक व्यवसाय बन गया है।

3. **शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का होना :** भारत में चिकित्सा देखभाल और गरीबों के पुनर्वास की कमी के कारण दिव्यांग व्यक्ति और मानसिक रूप से बीमार लोग भिक्षावृत्ति के लिए विवश होते हैं।

4. **प्राकृतिक आपदाएँ जैसे प्राकृतिक कारक :** बाढ़, सूखा, और भूकंप जैसी आपदाएँ लोगों को विस्थापित कर देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अत्यधिक गरीबी में फंस जाते हैं और भिक्षावृत्ति करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

5. **मानव तस्करी और संगठित भिक्षावृत्ति जैसे आपराधिक गिरोह का होना :** भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानव तस्करी और आपराधिक गिरोह बच्चों और महिलाओं का शोषण कर उन्हें भिक्षावृत्ति में धकेलते हैं, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

भिक्षावृत्ति का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव :

1. **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता की कमी से विभिन्न रोग के प्रसार का खतरा होना :** भारत में भिक्षावृत्ति वाले स्थानों पर स्वच्छता की कमी से विभिन्न रोग फैलते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर दबाव बढ़ता है।

2. **अपराध और शोषण का शिकार होना :** संगठित भिक्षावृत्ति गिरोह बच्चों की तस्करी और जबरन श्रम में संलिप्त होते हैं। भिखारियों के गिरोह में नशीली दवाओं का सेवन तथा बच्चों और महिलाओं का शोषण अधिक होता है।

3. **भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुँचाना और शहरों में पर्यटन को प्रभावित करना :** अनियंत्रित भिक्षावृत्ति शहरों में पर्यटन को प्रभावित करती है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुँचाती है। सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति के बढ़ते मामलों से सुरक्षा और शांति पर खतरा होता है।

4. **मानवाधिकार के उल्लंघन होने की संभावना होना :** भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों के तहत बिना पुनर्वास के कई भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन कानूनों में औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों का असर देखा जाता है, जहां शासन को गरीबों और शहरी सौंदर्य से असंगत लोगों को गिरफ्तार करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं।

समाधान / आगे की राह :

1. **संगठित भिक्षावृत्ति गिरोहों से निपटने की आवश्यकता :** भारत में भिक्षावृत्ति से जुड़े गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस, एनजीओ और बाल कल्याण संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाना आवश्यक है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत तस्करी विरोधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। शोषणकारी भिक्षावृत्ति नेटवर्क को दंडित करना चाहिए, लेकिन कारावास के बजाय पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसको भी सुनिश्चित करने की जरूरत है।

2. **भिक्षावृत्ति के दुष्परिणामों के विरुद्ध सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने की जरूरत :** भारत में भिक्षावृत्ति के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना, विश्वसनीय धर्मार्थ संस्थाओं और सामुदायिक परियोजनाओं के लिए दान को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके साथ ही, पुनर्वास प्रयासों के लिए धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3. **कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही शहरी नियोजन और रात्रि आश्रय स्थलों का विस्तार करने की आवश्यकता :** सरकार को बेहतर सुविधाओं के साथ रात्रि आश्रयों (Night Shelters) की संख्या बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा, भिखारियों के पुनर्वास में सहायता के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

4. **सामाजिक बहिष्कार जैसे मूलभूत कारणों पर ध्यान देते हुए नीतिगत स्तर पर सुधार करने की जरूरत :** बेरोज़गारी और सामाजिक बहिष्कार जैसे मूलभूत कारणों पर ध्यान देते हुए नीतियों का निर्माण करना चाहिए, जिससे भिक्षावृत्ति की समस्या की रोकथाम की जा सके।

5. **भारत के विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय से भिक्षावृत्ति की समस्या का समग्र समाधान करने की जरूरत :** भिक्षावृत्ति की जटिल समस्या का समाधान विभिन्न मंत्रालयों जैसे सामाजिक न्याय, शहरी मामलों और श्रम मंत्रालयों के समन्वय से ही संभव है।

6. **आजीविका के स्थायी अवसर पैदा करने के लिए स्थानीय साझेदारी को सुनिश्चित करने की अत्यंत आवश्यकता** : पुनर्वासित व्यक्तियों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए स्थानीय व्यवसायों और उद्योगों के साथ साझेदारी करना चाहिए, ताकि वे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकें।

स्त्रोत – द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भिक्षावृत्ति पर कानूनी कार्रवाई किस धारा के तहत की जाती है?

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223
3. आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871
4. बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959

उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 4

D. केवल 2 और 3

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी प्रावधानों, इसके मुख्य कारणों और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करते हुए, इससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले समाधानात्मक उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

नवीन जल समाधान : जल जीवन मिशन के द्वारा 2028 तक स्थिर जल प्रबंधन

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत की संसद में प्रस्तुत किये गए केंद्रीय बजट 2025-26 में शेष (20%) ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (JJM) की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अध्ययन के आधार पर जल जीवन मिशन के संभावित प्रभावों के बारे में बताया है जिसमें इसके सामजिक-आर्थिक लाभों की चर्चा की गई है।

जल जीवन मिशन (JJM):

- **जल जीवन मिशन:** JJM को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना है।
- **प्रगति:** वर्ष 2019 में केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे।
- वर्ष 2024 तक, इसमें 15 करोड़ परिवार (ग्रामीण भारत का 80%) शामिल किये गए।
- **फोकस:** मिशन के विस्तार में बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता में सुधार लाने और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
- **समझौता ज्ञापन (MOU):** स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ता-क्षर किये जाएंगे।

जल जीवन मिशन का प्रभाव :

- **समय की बचत :** विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि JJM से प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे की बचत होगी, जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिये पानी इकट्ठा करने में खर्च होता है।
- **स्वास्थ्य लाभ :** JJM से डायरिया रोगों से होने वाली लगभग 400,000 मौतों को रोका जा सकता है तथा 14 मिलियन विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) को बचाया जा सकता हैं।

- **शिशु मृत्यु दर में कमी :** शोध से पता चलता है कि सुरक्षित जल से शिशु मृत्यु दर में 30% की कमी आ सकती है, जिससे प्रतिवर्ष 136,000 लोगों की जान बच सकती है।
- **जल जीवन मिशन :** वर्ष 2019 में शुरू किया गया यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
- जल जीवन मिशन पेयजल हेतु एक जन आंदोलन बनना चाहता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए।
- यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- **लक्ष्य :** इस मिशन का लक्ष्य मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों एवं जल कनेक्शन, जल गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ सतत् कृषि की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना है।
- यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, ग्रे जल उपचार और पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।

जल जीवन मिशन की विशेषताएँ :

- जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुनः** उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य तत्त्वों के रूप में स्रोत सतत् उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है।
- यह मिशन जल के लिये सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटकों के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।

जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन :

- जल समितियाँ ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करती हैं।
- इनमें 10-15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम-से-कम 50% महिला सदस्य एवं स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा), आँगनवाड़ी, शिक्षक आदि शामिल होते हैं।
- समितियाँ सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्ययोजना तैयार करती हैं। योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- **वित्तपोषण :** केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण स्वरूप हिमालयन तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 है, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों के मामलों में शत-प्रतिशत योगदान केंद्र द्वारा किया जाता है।

जल जीवन मिशन की प्रगति :

- अब तक 12.3 करोड़ (62%) ग्रामीण घरों में पाइप के पानी के कनेक्शन हैं, जो वर्ष 2019 के 3.2 करोड़ (16.6%) से अधिक है।
- पाँच राज्यों अर्थात् गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, और पंजाब एवं 3 केंद्रशासित प्रदेशों- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली और पुद्दुचेरी में 100% नल के पानी के कनेक्शन हैं।
- निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश 98.87% उसके बाद बिहार 96.30% नल के पानी का कनेक्शन करने हेतु तैयार हैं।

जल जीवन मिशन (शहरी) :

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में जल की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है।
- यह जल जीवन मिशन (ग्रामीण) का पूरक है जिसके तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

जल जीवन मिशन (शहरी) का उद्देश्य :

- नल और सीवर कनेक्शन तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- जल निकायों का पुनरुत्थान।
- चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना।

स्त्रोत – द हिन्दू ।

जल जीवन मिशन : भारत का सतत विकास लक्ष्य की ओर बढ़ता कदम

खबरों में क्यों ?

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

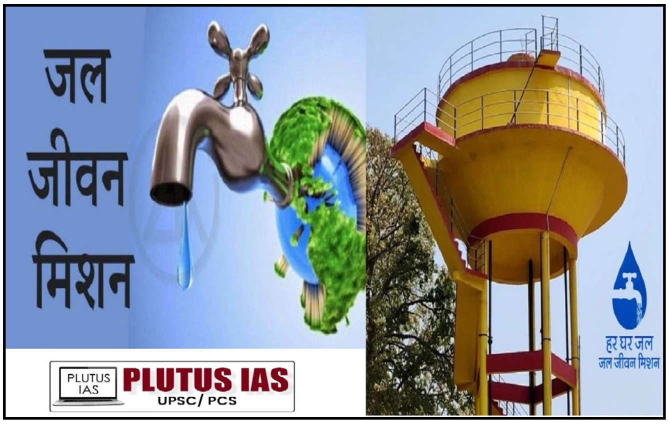

- हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन (JJM) को 2028 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शेष (20%) ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन से लाभान्वित करना है।
- इसके अतिरिक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के परिणामों के आधार पर जल जीवन मिशन के संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया है, जिसमें इसके लाभों पर भी विस्तृत चर्चा की गई है।

जल जीवन मिशन (JJM) क्या है ?

1. **जल जीवन मिशन की शुरूआत :** भारत में जल जीवन मिशन को वर्ष 2019 में शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था।
2. **जल जीवन मिशन का मुख्य केन्द्रित क्षेत्र :** केन्द्र सरकार द्वारा इस मिशन का विस्तार करते हुए, जल आपूर्ति बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों के स्थिर संचालन एवं रखरखाव पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक भागीदारी को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
3. **जल जीवन मिशन के तहत किए गए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) :** इस मिशन के स्थायित्व के लिए और नागरिक-केंद्रित जल सेवा वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
4. **वित्तपोषण :** इस मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय योगदान का अनुपात हिमालयन और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 50:50 है। केंद्रशासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।

भारत में जल जीवन मिशन का समाज पर पड़ने वाला मुख्य प्रभाव :

1. **समय की बचत :** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जल जीवन मिशन से प्रतिदिन लगभग 5.5 करोड़ घंटे की बचत होगी, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा पानी इकट्ठा करने में खर्च होते थे।
2. **स्वास्थ्य लाभ :** यह मिशन डायरिया जैसी जलजनित बीमारियों से होने वाली लगभग 400,000 मौतों को रोकने में मदद कर सकता है और 14 मिलियन विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों (DALYs) को बचा सकता है।
3. **मानव जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना शिशु मृत्यु दर में कमी :** वैश्विक स्तर पर हुए विभिन्न अनुसंधानों से यह प्रमाणित हुआ है कि सुरक्षित पेयजल से शिशु मृत्यु दर में 30% तक कमी लाई जा सकती है, जिससे हर साल 1,36,000 जीवन बचाए जा सकते हैं।

जल जीवन मिशन की मुख्य विशेषताएँ :

1. यह मिशन स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति का समग्र प्रबंधन करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
2. वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग जैसे उपायों को अपनाकर जल स्रोतों को स्थिर किया जाता है।
3. यह मिशन एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से जागरूकता फैलाने की योजना भी शामिल है।
4. यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसके अंतर्गत जल आपूर्ति प्रणालियों, जल गुणवत्ता परीक्षण, सतत कृषि और जल स्रोतों के संवर्धन पर कार्य किया जाता है।

जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन :

1. जल समितियाँ ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का कार्य करती हैं।
2. इन समितियों में 10-15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% महिलाएँ, स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जैसे आशा

कार्यकर्ता), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक आदि शामिल होते हैं।

3. इस मिशन से जुड़ी समितियाँ ग्राम संसाधनों का उपयोग करते हुए एक समग्र ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं।
4. इस योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
5. भारत में जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

भारत में जल जीवन मिशन की वर्तमान प्रगति :

1. वर्ष 2019 में केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध था।
2. इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक इसे बढ़ाकर 15 करोड़ (80%) परिवारों तक पहुँचाने का लक्ष्य था।
3. वर्तमान में 12.3 करोड़ (62%) ग्रामीण घरों में पाइप जल आपूर्ति कनेक्शन हैं, जो 2019 के 3.2 करोड़ (16.6%) परिवारों से कहीं अधिक है।
4. गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, और पंजाब जैसे पांच राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, दमन-दीव और दादरा नगर हवेली और पुदुचेरी जैसे तीन केंद्रशासित प्रदेशों में 100% नल जल कनेक्शन हैं।
5. हिमाचल प्रदेश (98.87%) और बिहार (96.30%) अगले कुछ वर्षों में 100% नल जल कनेक्शन प्राप्त करने के करीब हैं।

जल जीवन मिशन (शहरी) :

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) के तहत सभी शहरों में कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से घरेलू जल आपूर्ति की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की शुरुआत की गई।
- यह योजना जल जीवन मिशन (ग्रामीण) का पूरक है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की जाएगी।

जल जीवन मिशन (शहरी) का मुख्य उद्देश्य :

1. शहरी क्षेत्रों में नल और सीवर कनेक्शन तक पहुंच सुनिश्चित करना।
2. जल निकायों का पुनरुद्धार और संरक्षण करना।
3. चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना को बढ़ावा देना।

भारत में जल जीवन मिशन की भविष्य की दिशा :

- भारत में जल जीवन मिशन का प्रमुख उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
- इस मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन से जल सुरक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, साथ ही इसके सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ भी व्यापक रूप से महसूस किए जाएंगे।
- यह मिशन न केवल जल संकट को हल करने में मदद करेगा, बल्कि इससे जनस्वास्थ्य में सुधार, महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में बढ़ोतरी और ग्रामीण विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- जल जीवन मिशन देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान देने को सुनिश्चित करेगा।

स्रोत – द हिन्दू ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. जल जीवन मिशन के तहत कौन – कौन सा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 100% नल जल कनेक्शन की स्थिति में हैं?

1. गुजरात, तेलंगाना, गोवा।
2. हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश।
3. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और दादरा नगर हवेली।
4. बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा।

उपर्युक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 2 और 4

C. केवल 2 और 3

D. केवल 1 और 3

उत्तर – D

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके प्रमुख कार्यान्वयन रणनीतियाँ, सामाजिक और स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से बताते हुए भारत में इस मिशन की भविष्य की दिशा पर भी चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS
PLUTUS IAS
UPSC/ PCS